न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या 2024/119

प्रकरण संख्या 37/24

अनवान

श्री मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी

बनाम

श्री उदयसिंह

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

– : :आदेशः : – दिनांकः 17.10.2024

1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की उपरोक्त अनवान का वाद वादी की ओर से जरिये वादमित्र खातेदारी अधिकारों की घोष्णा का एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं वाद पत्र के पठन से प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट होता है कि वादाधार तथकथित भेंट पत्र दिनांक 04.07.1982 अपंजिकृत इकरार की परिभाषा में आता है एवं इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर माननीय न्यायालय में वादी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है एवं उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होकर इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 5 में यह भी अंकित किया हुआ है कि श्री चारभुजा जी समस्त राजपुतसमाज खेरोदा के है एवं दिनांक 04.07.1982 से निरन्तर निराबाध खुले तौर से यह चर्चा भी रही कि श्रीमती सोहनकुवर ने बहुत बडा दिल रखकर भूमि दान की यह खबर कस्बा खेरोदा के अलावा समस्त पडौसी गावों तथा खेरोदा के राजपुत समाज के रिश्तेदारों के गावों में फैल चुकी थी, जिसका ज्ञान हर आम खास को था एवं है, जबकि राजपुत समाज राठौड के श्री देवीसिंह स्वयं ने वादग्रस्त भूमि बावत् सन् 1988 में माननीय राजस्व न्यायालय, वल्ल[illegible] संख्या 114/1988 प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमती सोहन कुँव[illegible] पक्षकार थे एवं इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में आपसी राजीनामें से दिनांक 13.03.2000 को निर्णय एवं डिक्री जारी की गयी तथा उपरोक्त प्रकरण सन् 1988 से सन् 2000 तक करीब 13 वर्ष तक लम्बित रहा एवं इतने वर्षों की अविध के दौरान राजपुत समाज राठौड के किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की जानकरी होते हुए भी इस प्रकरण में किसी भी तरह से भाग नहीं लिया तथा वादग्रस्त भूमि का प्रकरण संख्या 114/1988 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2000 से अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है, जिससे वादी का यह वाद रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त के अनुसार एवं कालबाधित होकर वाद कारण के अभव में भी विधि द्वारा वर्जित होकर किसी भी तरह से चलने योग्य नहीं है एवं इसी स्तर पर सव्यय खारिज योग्य हैं।

3. यह कि वादी कर ओर से प्रस्तुत तथा कथित दस्तावेज दिनांक 02.05.2024 में यह अंकित किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि बावत् श्री राजपुत समाज राठौड खेरोदा की ओर से कानूनी कार्यवाही के लिए श्री भैरूलाल पाराशर समाज जन श्री डुलेसिंह, श्री भंवरसिंह, श्री अभयसिंह, श्री इन्द्रसिंह, श्री भोपालसिंह, श्री भोपालसिंह, श्री प्रेमसिंह, श्री जोगेन्द्रसिंह, श्री रतनसिंह, श्री अमरसिंह को अधिकृत किया जाता है, इनमें से एक या अधिक व्यक्ति कार्यवाही करावें एवं उपरोक्त व्यक्तियों को अधिकृत करने का कार्य जय कल्याण विकास समिति खेरोदा (मेंवाड)जिला उदयपुर राज. द्वारा किया हुआ है, ऐसी स्थिति में जरिये वादमित्र उपरोक्त वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार ही पैदा नहीं होता है एवं तथाकथित वाद कानून प्रतिनिधिक वाद की श्रेणी में भी आता है जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव में भी वाद विधि द्वारा वर्जित होने से सव्यय खारिज योग्य हैं। उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से तथा जरिये वादमित्र को वाद प्रस्तुती का अधिकार नहीं होने से आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव में कालबाधित होकर वाद कारण के अभाव में आगे चलने योग्य नहीं होने से एवं इसी स्तर पर सव्यय खारिज योग्य होने से उपरोक्त वाद को इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावें।

4. प्रकरण में वादी/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना का जवाब अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी की ओर से पेश [illegible]या जिसमें बताया कि कलम न. 1 मिथ्या होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र को between the lines मे पढकर जान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

बुझकर मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। कलम न. 2 पूर्ण रूप से मिथ्या है। प्रतिवादी संख्या 04 ओर से कथन किया कि 1988 से 2000 तक देवीसिंह बनाम सोहन कुंवर, उदयसिंह का वाद चला जिसमें राजीनामा से वाद डिक्री हुआ जिसमें इस वाद की वादग्रसत भूमि भी थी जिसका ज्ञान पुरे राजपुत समाज को था। यह कथन मिथ्या है क्योंकि तथाकथित वाद की कार्यवाही में इस वाद के वादी मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी पक्षकार मुकदमा नहीं थे। मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी की पीछे का आदेश उस मुकदमें के पक्षकारों ने दुरभि सन्धि कर प्राप्त कर लिया होतो ऐसे आदेश का असर वर्तमान वाद पर लागू नही होता है। प्रतिवादी संख्या 4 जवाब दावा पेश कर जो भी ऐतराज हो लेने के लिए स्वतत्र है। वर्तमान प्रार्थना पत्र के कथन आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की परिधि में नही आते हैं। वाद एक मात्र वादी मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी द्वारा वाद मित्र के जरिये पेश हुआ है मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी शाश्वत अल्त व्यस्क है जिनका सर्वोच्च संरक्षण माननीय न्यायालय है। यह वाद प्रतिनिधि वाद की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 4 का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त–

   I. RRT 2019 (1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER BODU RAM AND ANR. VS GANESH AND ANR.
   II. RRT 2019 (2) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER HARIRAM VS PARTAPI BAI
   III. RRT 2009 (1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER JAGDISH NARAYAN AND ORS. VS RADHEY SHYAM AND ORS.

6. पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्री मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा (राजपुत समाज राठौड) जरिये वाद मित्र के तहत पेश किया गया हैं जिसमें बताया कि वाद[illegible] भूमि को खातेदार सोहन कुंवर द्वारा दिनांक 04.07.1982 को भेट [illegible] मुर्ति चारभुजा के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

अर्पित कर दी। राजस्व रेकर्ड में दान ग्रहीता का नाम नहीं लगने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 पक्ष में नुमाईशी दस्तावेज के द्वारा विक्रय कर दी जिससे वादग्र आराजीयात को मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी (राजपुत समाज कानोड) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहि का पेश कर बताया कि वादाधार तथाकथित भेट पत्र दिनांक 04.07.19 अपंजीकृत दस्तावेज है जो की स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के अन्त इकरार की परिभाषा में आता है एवं इस प्रकार के दस्तावेज के आधार माननीय न्यायालय में वादी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2019 (1) जगदीश नारायण बनाम राधेश्य हुबहु चस्पा होता हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बोर्ड ऑफ रेवे राजस्थान अजमेर द्वारा स्पष्ट किया है कि "सिविल प्रक्रिया संहि 1908—आदेश 7 नियम 11— वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि पर खाते होने की घोषणा चाही तथा वाद अनरजिस्टर्ड एग्रीमेण्ड पर आधारित एग्रीमेण्ड के आधार पर खातेदारी की घोषणा की क्षेत्राधिकारिता नहीं प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं चाही लेकिन यह अनुमतिशु कब्जा है— अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंण्ट के आधार पर खातेदारी का दावा न किया जा सकता—वाद के प्रारम्भिक स्तर पर भी वाद खारिज किया सकता हैं।" अतः उक्त से स्पष्ट है कि वाद विधि द्वारा वर्जित हैं।

7. अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन कहा राजपुत समाज राठौड के श्री देवीसिंह स्वयं ने वादग्रस्त भूमि बाबत् स 1988 में माननीय राजस्व न्यायालय वल्लभनगर में प्रकरण संख्या 114/19 प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमती सोहन कुंवर एवं श्री उदयसिंह (प्रतिवादी संख 1) पक्षकार थे एवं इस प्रकरण में आपसी राजीनामें से दिनांक 13.03.200 को निर्णय व डिक्री जारी की गई व उपरोक्त प्रकरण सन् 1988 से स 2000 तक करीब 13 वर्ष तक चला एवं इतने वर्षों की अवधि दौरान राजपुत समाज के किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार क जानकारी होते हुए भी इस प्रकरण में किसी भी तरह से भाग नहीं लिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

तथा वादग्रस्त भूमि का प्रकरण संख्या 114 / 1988 निर्णय एवं डिक्री दिनाक 13.03.2000 से अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका हैं जिससे वादी का यह वाद रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन कहा की उक्त वाद जो 1988 से 2000 तक लम्बित रहा उसमें वादी मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अधिवक्ता प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में दस्तावेज आपसी राजीनामा दिनांक 13.03.2000 का पेश किया गया जिसके अध्ययन से पाया की इस प्रकरण की वादग्रस्त आराजी न. 121 रकबा 10 बिघा का आपसी राजीनामा दिनांक 13.03.2000 को सोहनकुंवर व उदयसिंह के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किये जाने के आदेश पारित हुये हैं। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि आपसी राजीनामा दिनांक 13.03.2000 को वादग्रस्त आराजीयात का आपसी राजीनामें अनुसार निर्णय किया जा चुका हैं जिसमें स्वयं वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार सोहनकुंवर द्वारा उक्त राजीनामा स्वीकार किया गया हैं। अतः उक्त वाद रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपरौक्त विवेचन व उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया हैं जो घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं हैं साथ ही वादग्रस्त आराजीयात बाबत् निर्णय व डिक्री माननीय राजस्व न्यायालय वल्लभनगर द्वारा दिनांक 13.03.2000 को जारी की जा चुकी है जिसमें राजपुत समाज के ही श्री देवीसिंह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिससे वाद रेस ज्युडिकेटा के आधार पर भी खारिज योग्य हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्ध में इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 37 / 24 (वाद)

GCMS NO: 2024/119

अनवान

1. श्री मन्दिर मूर्ति श्री चारभुजा जी (राजपुत समाज राठौड) स्थान खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.

जरिये वादमित्र

1. भेरूलाल पिता स्व. कालुलाल जी पाराशर निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री डूलेसिंह पिता धीरसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भंवरसिंह पिता देवीसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री अभयसिंह पिता गोकलसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री इन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री भोपालसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री भोपालसिंह पिता देवीसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्री भवानीसिंह पिता भीमसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्री प्रेमसिंह पिता उदयसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
10. श्री जोगेन्द्रसिंह पिता सोहनसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
11. श्री रतनसिंह पिता केशरसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
12. श्री अमरसिंह पिता डूलेसिंह जी राजपुत (राठौड) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयसिंह दत्तक पुत्र नाहरसिंह राजपुत निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नि श्री कृयणकुमार गुप्ता (महाजन) निवासी जरनों की सराय, देबारी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती प्रेरणा खाब्या पत्नि विजयकुमार खाब्या (...) ...सी 36 H ब्लाक हिरणमगरी से 14 उदयपुर राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested

4. श्री मुकेशकुमार पिता देवीलाल जी सुथार निवासी मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक खेरोदा उप तहसील खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 37/24 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिन बमुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.10.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:59 IST
Reason: SelfAttested